बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

एस0ओ0– दिनांक– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11, 1948) की धारा–5 की उप धारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा–3 की उप धारा–(1) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा–5 की उप धारा–1 के खण्ड–(बी) के अधीन अधिसूचित प्रस्ताव पर प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद से भी परामर्श करने के पश्चात् बिहार राज्यपाल निम्नांकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कुछ कोटि के कर्मचारियों के लिए श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या–3826, 3827 दिनांक–06.09.2016 में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण करते हैं जैसा कि इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची के स्तंभ–3 में उक्त अनुसूची के स्तंभ–2 में तत्संबंधी प्रतिवष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कोटि के कर्मचारियों के सामने दर्शायी गयी है, सम्पूर्ण बिहार राज्य में उक्त नियोजन में नियोजित ऐसी विभिन्न कोटि के कर्मचारियों को भुगतेय होगी।

2. इस प्रकार पुनरीक्षित मजदूरी न्यूनतम दरें उक्त अधिनियम की धारा–4 की उप–धारा (1) के खण्ड–(III) के अर्न्तगत होगी।

3. यह अधिसूचना दिनांक 01 दिसम्बर,2016 से प्रभावी होगी।

अनुसूची

क्र0 सं0	अनुसूचित नियोजनों का नाम
1.	विक्रय प्रोत्साहन नियोजन

अनुसूची–I

क्र0 सं0	कामगारों की श्रेणी	वर्त्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें	दिनांक–01.04.2016 तक देय परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल (3+4)	15% पुनरीक्षण का लाभ	निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें दि0–01.12.16 से लागू
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	132.00	57.00	189.00	28.35=28.00	217.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल	137.00	59.00	196.00	29.40=29.00	225.00 प्रतिदिन
3	कुशल	169.00	73.00	242.00	36.30=36.00	278.00 प्रतिदिन
4	अतिकुशल	206.00	89.00	295.00	44.25=44.00	339.00 प्रतिदिन
5	पर्यवेक्षीय / लिपिकीय	3817.00	1641.00	5458.00	818.70=819.00	6277.00 प्रतिमाह

टिप्पणी :– (क) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960–100) 6090.00 जो वर्ष, 2015 द्वितीय अर्द्धांश (जुलाई–दिसम्बर) का औसत है, पर आधारित है।

(ख) दिनांक 23.11.2016 को बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के परामर्श के आलोक में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 43% शून्यीकरण के अतिरिक्त 15% जोड़कर न्यूनतम मजदूरी निर्धारण किया गया है ताकि पुनरीक्षण के फलस्वरूप मजदूरी में वृद्धि वास्तविक रूप से परलक्षित हो।

(ग) न्यूनतम मजदूरी की दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में 26 से गुणा करके किया जायेगा।

(घ) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त प्रस्तावित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।

(च) साप्ताहिक विश्राम के दिन अथवा अन्य किसी दिन समयोपरि कार्य के लिए कामगार बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम–25 में विहित दर से समयोपरि काम का दो गुणा मजदूरी भुगतान पाने का हकदार होगा।

(छ) पुरूष या स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

स्पष्टीकरण :– (क) अकुशल काम से अभिप्रेत है जिसमें बहुत ही कम या कुछ भी नहीं कुशलता या अनुभव की आवश्यकता होती है बल्कि वह बहुत ही साधारण प्रकृति का होता है।

(ख) अर्द्धकुशल काम से अभिप्रेत है वह काम जिसमें काम के अनुभव के आधार पर कुछ डिग्री या कुशलता या क्षमता की आवश्यकता होती है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में किया जा सकता है तथा इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षण का काम भी है।

(ग) कुशल काम से अभिप्रेत है जिसमें काई कार्य के अनुभव के आधार पर या किसी तकनीकि या किसी व्यवसायिक संस्थान में शिल्पी के रूप में प्रशिक्षण के आधार पर अर्जित कुशलंता या क्षमता की आवश्यकता होती है तथा जिसके सम्पादन के लिए पहल और विवेक की आवश्यकता होती है।

(घ) अतिकुशल काम से अभिप्रेत **है वह** काम जिसमें **सघन तकनीकि** या **व्यवसायिक प्रशिक्षण** या वर्षों के व्यवहारिक कार्य के अनुभव के **आधार** पर अर्जित कुछ **खास कार्यों** के सम्पादन में पूर्तियाँ की डिग्री और पूर्ण क्षमता की **आवश्यकता होती है** और **इन कार्यों** के निष्पादन के लिए कामगारों में विशेष या विनिश्चयों के लिए पूरी जवाबदेही **की आवश्यकता होती है।**

4977

(सं0–5 / एम0डब्लू0–405 / 07 श्र0सं0–)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अरुण
29.11.16.
(अरूण कुमार नं0–01)
अवर सचिव।

एस0 ओ0– दिनाक– का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद **348** के खंड (3) के अधीन प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

4978

(सं0–5 / एम0डब्लू0–405 / 07 श्र0सं0–)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अरुण
29.11.16.
(अरूण कुमार नं0–01)
अवर सचिव।

NOTIFICATION

S.O. In exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section- 3 of the Minimum Wages Act, 1948 (11, of 1948) read with sub-section- 2 of section-5 of said Act and after having considered all the representations received on the proposal notified under clause (b) sub-section (1) of section- 5 of the said Act and also after consulting to Bihar Minimum Wages Advisory Board, the Governor of Bihar is pleased to revise the minimum rates of wages fixed by Labour Resources Department vide notification no.-3826, 3827 dated 06.09.2016 for certain categories of employees employed in the following employments in the State of Bihar as specified in columns- 3 of the schedule-II hereto annexed against each such category & employees specified in the corresponding entry in column- 2 thereof which shall be payable in the whole of the State of Bihar to such different categories of employees employed in the said empolyment.

2. The Minimum rates of wages so revised shall be within the meaning of clause (iii) of sub-section-(1) of section-4 of the said Act.

3. This notification shall come into force with effect from the date of 01 December, 2016.

Schedule

Sl. No.	Name of Scheduled Employments
1.	Sales Promotion Employment

Schedule-I

Sl No.	Categories of Workers	Existing Minimum Rates of Wages	V.D.A Payable on 01.04. 2016	Total (3+4)	15% Revision Benefit	Fixed Minimum Rates of Wages w.e.f 01.12.16
1	2	3	4	5	6	7
1	Unskilled	132.00	57.00	189.00	28.35=28.00	217.00 Perday
2	Semi skilled	137.00	59.00	196.00	29.40=29.00	225.00 Perday
3	Skilled	169.00	73.00	242.00	36.30=36.00	278.00 Perday
4	Highly Skilled	206.00	89.00	295.00	44.25=44.00	339.00 Perday
5	Supervisory/ Clerical	3817.00	1641.00	5458.00	818.70=819.00	6277.00 Permonth

Note :- (a) The minimum rates of wages above are based on the All India Average Consumer Price Index Number (1960-100) 6090.00 which is the average of the indices of the Second half of the year, 2015 (July-December)

(b) Minimum wages has been revised on the suggestion made by the Minimum wage advisory board on 23.11.2016 by adding 15% additional after the 43% neutralization in the consumer price index, so that actual wages may increase.

(c) Conversion of the monthly rate of wages into daily rates of wages and vice-versa shall be worked out by dividing the monthly rates by 26 and by multiplying the daily rates by 26.

(d) The proposed rates of minimum wages above include of the remuneration payable to the employee in respect of the day of rest in every period of seven days.

(e) An employee shall for the work done on the weekly day of rest be entitled to overtime payment as the rate prescribed in rule 25 of the Bihar Minimum Wages Rule, 1951.

(f) Men and women workers shall get the same rates of wages for the same work or a similar nature.

Explanation :-

(a) "Unskilled work" means work which involve simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) "Semi-skilled" work means work which involves some degree of skill of competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory workers.

(c) "Skilled works" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in technical or vocational institute and the performance of which calls for initative and judgment.

(d) "Highly Skilled" work means work which call for a degree of perfection and full competence in performance of certain tasks acquired through intensive technical or professional training or practical works experience for long years and also requires of a work to assume full responsibility for the judgment or decisions involved in the execution of these tasks.

(No.-5/M.W-405/07 L & R - 4977)
By order of the Governor of Bihar,

29.11.16.
(Arun Kumar No.01)
Under Secretary.

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-405 /07 श्र0सं0- 4978 पटना, दिनांक- 29.11.16

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अरूण
29.11.16
(अरूण कुमार नं0-1)
अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-405 /07 श्र0सं0- 4978 पटना, दिनांक- 29.11.16

प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, श्रम ब्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / बिहार सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त /महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप श्रमायुक्त (कृ0श्र0सहित)/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा / सभी सहायक श्रमायुक्त (कृ0श्र0सहित) सभी श्रम अधीक्षक (कृ0श्र0सहित) निदेशक, कृ0श्र0, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/ मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अरूण
29.11.16.
(अरूण कुमार नं0-1)
अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-405 /07 श्र0सं0- 4978 पटना, दिनांक- 29.11.16

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद / सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद / सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01 / सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना / प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविधालय, पटना / उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविधालय, पटना /उप कुल सचिव, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. संबंधित पदाधिकारियो से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

अरूण
29.11.16.
(अरूण कुमार नं0-1)
अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-405 /07 श्र0सं0- 4978 पटना, दिनांक- 29.11.16

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अरूण
29.11.16.
(अरूण कुमार नं0-1)
अवर सचिव ।

(घ) अतिकुशल काम से अभिप्रेत है वह काम जिसमें सघन तकनीकि या व्यवसायिक प्रशिक्षण या वर्षों के व्यवहारिक कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यों के सम्पादन में पूर्तियाँ की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है और इन कार्यों के निष्पादन के लिए कामगारों में विशेष या विनिश्चयों के लिए पूरी जवाबदेही की आवश्यकता होती है।

4971
(स0–5 / एम0डब्लू0–403 / 07 श्र0सं0–)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29.11.16
(अरूण कुमार नं0–01)
अवर सचिव।

एस0 ओ0– दिनांक– का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 4972

(सं0–5 / एम0डब्लू0–403 / 07 श्र0सं0–)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29.11.16
(अरूण कुमार नं0–01)
अवर सचिव।

NOTIFICATION

S.O. In exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section- 3 of the Minimum Wages Act, 1948 (11, of 1948) read with sub-section- 2 of section-5 of said Act and after having considered all the representations received on the proposal notified under clause (b) sub-section (1) of section- 5 of the said Act and also after consulting to Bihar Minimum Wages Advisory Board, the Governor of Bihar is pleased to revise the minimum rates of wages fixed by Labour Resources Department vide notification no.-3822, 3823 dated 06.09.2016 for certain categories of employees employed in the following employments in the State of Bihar as specified in columns- 3 of the schedule-II hereto annexed against each such category & employees specified in the corresponding entry in column- 2 thereof which shall be payable in the whole of the State of Bihar to such different categories of employees employed in the said empolyment.

2. The Minimum rates of wages so revised shall be within the meaning of clause (iii) of sub-section-(1) of section-4 of the said Act.

3. This notification shall come into force with effect from the date of 01 December, 2016.

Schedule-1

Sl. No. Name of Scheduled Employments

1- Co-operative Sector
2- Aluminum Industry
3- Khandsari industry
4- Chemical and Pharmaceutical Industry
5- Soap Making Industry
6- Cement Pre - stressed product Industry
7- Asbestos Cement Industry
8- GlassSheet Industry
9- Gun factories
10- Religious & Social Institution
11- Paper Industry
12- Laundry & washing
13- Hosieries Manufactory Corrugated Board, Straw
14- Manufacture of Sindur & Rang
15- Manufacture of Leather good
16- Wood works & furniture
17- Ice Cream and Cold Drinks
18- Petrol and Diesel Pump
19- Fisheries
20- Khadi and Village Industries
21- Private Ferries & LTC
22- Book binding Industry
23- Dafti Card Board, Mill Board Paper Board corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Boar Manufactory.
24- Electronics Industry
25- Cement Hume pipe. Electric pole and railway Sleeper manufactures Industry
26- Plywood Industries
27- Electric and other type of Bulbs and Florence tubes
28- Foundry Industries
29- Rubber and Rubber Compound Industry (on which manufacture
30- Biscuit Industry
31- Coal briquette Industry
32- Tailoring Industry
33- Handloom Industry
34- Private Hospitals, Nurshing Home and Clinic
35- Distilleries
36. Plastic Industries
37- Mineral Grinding Industry-

38. Glass Industries (excluding glass sheet)
39- Dairies and Poultry Farms
40- Manufacture of Gold, Silver Ornaments & article of artistic design.
41- Tanneries Leather Technology
42- Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills
43- Oil Mills
44- Printing Press
45- Any Shops and establishment
46- Public Motor Transport
47.- Any woolen carpet making or shawl weaving establishment.
48- Coal Storage
49- Minor Engineering Industry (excluding Automobile Engineering Shops less than 50 workers.)
50- Dam Construction & Irrigation
51- Construction or Manufactory of Road or in Building Construction
52- Bakeries and Confectioneries
53- Shops selling cooked food stuff
54- Hotels Eating House and Restaurants.
55- Mica work(Factory & Establishment excluding Mine)
56- Cinema industry
57- Any University, Educational, Research or cultural institutions.
58- Private Security
59.- Refectories Fire Bricks& Ceramic Industry
60- Potteries
61- Automobile Engineering Shops
62- Hard Coke Industry
63- Currier Service
64- Frittered Rice
65- Electro Casting and Metal Furnishing
66- Engineering Industries (Employment more than 50 workers)
67- Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc.,works
68- Jute Industry & Similar works
69- Information Technology.

Schedule-II

Sl No.	Categories of Workers	Existing Minimum Rates of Wages	V.D.A Payable on 01.04.2016	Total (3+4)	15% Revision Benefit	Fixed Minimum Rates of Wages w.e.f 01.12.16
1	2	3	4	5	6	7
1	Unskilled	144.00	62.00	206.00	30.90=31.00	237.00 Perday
2	Semi skilled	150.00	65.00	215.00	32.25=32.00	247.00 Perday
3	Skilled	183.00	79.00	262.00	39.30=39.00	301.00 Perday
4	Highly Skilled	223.00	96.00	319.00	47.85=48.00	367.00 Perday
5	Supervisory/ Clerical	4134.00	1778.00	5912.00	886.80=887.00	6799.00 Permonth

Note :- (a) The minimum rates of wages above are based on the All India Average Consumer Price Index Number (1960-100) 6090.00 which is the average of the indices of the Second half of the year, 2015 (July-December)

(b) Minimum wages has been revised on the suggestion made by the Minimum wage advisory board on 23.11.16 by adding 15% additional after the 43% neutralization in the consumer price index, so that actual wages may increase.

(c) Conversion of the monthly rate of wages into daily rates of wages and vice-versa shall be worked out by dividing the monthly rates by 26 and by multiplying the daily rates by 26.

(d) The proposed rates of minimum wages above include of the remuneration payable to the employee in respect of the day of rest in every period of seven days.

(e) An employee shall for the work done on the weekly day of rest be entitled to overtime payment as the rate prescribed in rule 25 of the Bihar Minimum Wages Rule, 1951.

(f) Men and women workers shall get the same rates of wages for the same work or a similar nature.

(g) It has been also decided that the only one notification should be used by dividing employees of 69 employment under five categories.

Explanation :-

(a) "Unskilled work" means work which involve simple operations, requiring little or no skill or experience on the job.

(b) "Semi-skilled" work means work which involves some degree of skill of competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory workers.

(c) "Skilled works" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgment.

(d) "Highly Skilled" work means work which call for a degree of perfection and full competence in performance of certain tasks acquired through intensive technical or professional training or practical works experience for long years and also requires of a work to assume full responsibility for the judgment or decisions involved in the execution of these tasks.

(No.-5/M.W-403/07 L & R - 4971)
By order of the Governor of Bihar,
23.11.16.
(Arun Kumar No.-01)
Under Secretary.

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403 /07 श्र0सं0- 4972 पटना, दिनांक- 29.11.16

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक मे प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अरूण
29.11.16.
(अरूण कुमार नं0-1)
अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403 /07 श्र0सं0- 4972 पटना, दिनांक- 29.11.16

प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, श्रम ब्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / बिहार सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त /महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप श्रमायुक्त (कृ0श्र0सहित)/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा / सभी सहायक श्रमायुक्त (कृ0श्र0सहित) सभी श्रम अधीक्षक (कृ0श्र0सहित) निदेशक, कृ0श्र0, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/ मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अरूण
29.11.16.
(अरूण कुमार नं0-1)
अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403 /07 श्र0सं0- 4972 पटना, दिनांक- 29.11.16

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद / सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद / सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01 / सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना / प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविधालय, पटना / उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविधालय, पटना /उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. संबंधित पदाधिकारियो से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ।

अरूण
29.11.16.
(अरूण कुमार नं0-1)
अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403 /07 श्र0सं0- 4972 पटना, दिनांक- 29.11.16

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अरूण
29.11.16.
(अरूण कुमार नं0-1)
अवर सचिव ।